

24/6/2021 पचावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
बाद वादी स्वीकार किया जाकर सुनई
डिक्री किया जाता है। इह प्रशासक का
आदेश अलग से टंकित किया जावे।
पचावली फैसल सुमा दौदा नम्वर से
कम हो।

